Controller and Auditor General of India for the year 1974-75, Union Government (Posts and Telegraphs) relating to the Ministry of Communications

12.26 hrs.

PETITION RE. GRESHAM AND CRAVEN OF INDIA (PRIVATE) LTD (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) BILL

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): I beg to present a petition signed by Shri Sukumar Chowdhury and others regarding the Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1977

12.27 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SEVENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to move

"That this House do agree with the Seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 24th November 1977"

MR SPEAKER: The question is

"That this House do agree with the Seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 24th November 1977"

The motion was adopted

12.28 hrs.

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL.*

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Supreme Court (Number of Judges) Act 1956

MR SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Supreme Court (Number of Judges) Act 1956"

The motion was adopted.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I introduce the Bill

12.30 hrs.

WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) CESS BILL

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): I beg to move **

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on water consumed by persons carrying on certain industries and by local authorities with a view to augment the resources of the Central Board and the State Boards for the prevention and control of water pollution constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 be taken into consideration."

Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 under article 252 of the Constitution with a view to control the pollution of rivers and streams. Under the above Act, a Central Board and State Boards of Prevention and Control of Water Pollution have been set up to ensure that the domestic and industrial effluents are not allowed to be discharged into the water courses

*Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 28-11-1977.

**Moved with the recommendation of the President

[Shri Sikandar Bakht]

without proper treatment. As per the provisions of the Act, the Central Government and State Governments have to provide funds to the Central Board and the State Boards respectively for implementing the provisions of the Act. However, due to pressure on the limited resources, the Governments are not able to provide adequate funds to the Boards, with the result that the work of water Pollution control is not being done as effectively as could be desired Hence, the need for the present legislation to provide adequate funds to the Boards to perform their functions

As per the present Cess Bill, it is proposed to levy a cess on local authorities and on certain specified industries Industries which do not pollute the water courses have been excluded The basis for levying the cess is the water consumed by the industry and local authority because it is not possible easily to measure the discharge For this purpose, water use has been categorised into four groups For the water used as a cooler in industries the rate has been kept at the minimum i e 0 75 paise per kilolitre For domestic use, it is one paise per kilolitre For other industrial uses the rate has been kept at 2 paise and 2½ paise per kilolitre depending on the quality of the effluents discharged

It has been proposed that an incentive of 70 per cent rebate be given for putting up treatment plants to local bodies and industries if they put up treatment plants to the satisfaction of the State Boards It is hoped that industries and local bodies will put up more treatment plants with a view to avail of this rebate

For the present, the Cess Bill will apply to only such States which have adopted the Water (Pollution and Control of Pollution) Act 1974 All the States which have not yet adopted the Act are being persuaded to do so to achieve uniformity and co ordination in water pollution control measures throughout the country.

Based on the area and level of industrialisation and climatic conditions various States have been categorised into three group It is estimated that the expenditure for the Boards in the big States like Andhra Pradesh, Bihar, U P etc, will be about Rs 22 lakhs per year and for medium and small States about Rs 12 5 lakhs and Rs 5 lakhs respectively Based on these calculations it is estimated that the total expenditure will be of the order of about Rs 3 5 crores a year The revenue from the proposed cess is also likely to be about Rs 3 4 crores I may also clarify at this juncture that it is not obligatory on the part of the Central Government to finance the State Boards As per the 1974 Act, the State Governments themselves have to finance these Boards However, the purpose of the above Cess Bill is only to augment the resources of the Boards to enable them to function effectively If the cess collected by any State Governmesnt is less than the requirements of that State Board it is for that State Government to meet the deficit Sir this Bill is not only a sort of imposition alone but it is also a sort of incentive to the polluting industries to reduce their polluting activities To that extent the amount of cess payable by them would also be reduced In the process the cess would enable the Central and State Boards to get some revenue to carry out scientific and administrative measures so necessary to control whatever water pollution does come about inevitably

I am sure that all of us agree on the need for taking immediate and effective steps to control water pollution in the country

I move

MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on water consumed by persons carrying on certain industries and by local authorities, with view to augment the

resources of the Central Board and the State Boards for the prevention and control of water pollution constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, be taken into consideration '

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Hon'ble Speaker, this Act was passed in 1974 It has been applied to States like Assam Bihar Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka Kerala, MP, Rajasthan, Tripura and West Bengal It is stated in that that it will be applied to other States when they pass resolutions as per the Article in the Constitution

The Minister has not said whether it has been applied to other States also If not, what is the action he is going to take

The other thing is that there is a provision for formulating joint boards The Minister has not said anything about these joint boards, whether they have been set up or not and what has been done in that regard

This Act deals with water pollution only Now because of urbanisation and industrialisation there is air pollution and sound pollution also Therefore this Act is so amended as to include air pollution and sound pollution also so that these are controlled

The UNO report says that metallurgical industry in India is creating a menace to water and air pollution They have very particularly pointed out about air pollution also Their report says that all types of toxic chemicals, oils, carbon dioxide, carbon monoxide are emanating from cars and trucks that ply on our streets Gases and exhaust fumes emanate from vehicles, sulphur dioxide, insecticides, DDT, all these are creating havoc Since the automobile industries are increasing, we have to see that air pollution is avoided

Now, I want to say one thing Sewage pollution has become very dangerous Especially in our towns there is no facility Therefore, this is polluting the rivers which are by the side of the towns The Central Government should coodinate with the State Governments in order to see that this sewage pollution is avoided and drainage facilities are given in the cities

Sir, in this Bill distilleries are not added In Chittoor there is a distillery factory which leaves fumes into the river and that spoils the whole water with the result that the people in the town are not able to get fresh water Therefore in the Bill distilleries should also be added

When you are giving licences, the officers should be very careful in issuing licences Unless they provide anti-pollution measures in industries licences should not be given When this Act was being enacted in this House the Minister said that a machinery would be set up to see the anti pollution measures I do not know whether there is any machinery It is not at all working Therefore implementation is quite necessary not only the Act The hon Minister should see that the Act is implemented in all the States It must apply to all the States If it is necessary he must persuade the other States also to pass a resolution as per the Constitution and see that it is applied uniformly throughout the country

MR SPEAKER There is an amendment for circulation in the name of Shri Hukamdeo Narain Yadav Is he moving the amendment? He is not present So it is not moved

श्री दुर्गा चन्द (कागडा) अध्यक्ष महोदय, जहा तक इस बिल का महत्व है, वह तो बहुत ही बडा है और इस बिल की बहुत आवश्यकता थी लेकिन मैं मत्री महोदय की खिदमत मे यह कहना चाहता हू कि इस बिल से जो हमारे आबजेक्टिव्ज है, वे सारे के सारे पूरे नही हो सकते। पोल्यूशन का जहां तक सवाल है यह आवश्यक

[श्री दुर्गा चन्द]

नहीं है कि जिन इंडस्ट्रीज का नाम शैड्यूल्ड में लिखा हुआ है, उन मे पानी को ट्रीट कर के नदियो या दरियाओ मे डाला जाएगा , ताकि पोल्यूशन न हो, केवल इंडस्ट्रीज तक ही पोल्यूशन का मसला सीमित है, आज हमारे देहातो मे भी पोल्यूशन का मसला है ।

12.37 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं खास कर हिमाचल प्रदेश के इलाको की बात कहना चाहता हू । वहा के लोग जो दरयाओ या गड्ढो का पानी पीते हैं, वह डाइलूटेड होता है क्योकि कारखाने दरियाओ के नजदीक लगे हुए है जिन का जहरीला मादा पानी मे जा कर शामिल हो जाता है । वहा पर ऐसे गाव हैं, जहां के लोगो को हमेशा वह डाइलूटेड पानी पीना पडता है क्योकि उन को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मुहय्या नही होता है। वह पानी इतना गदा होता है कि उसमे कीड़े पडे रहते है और मक्खिया पडी रहती हैं । कही कही पर तो जहरीले जानवर रहते हैं । ऐसा गदा पानी उन लोगो को पीना पडता हैं । इस का एकतरफा हल यह है कि एक काम्प्रीहेंसिव चीज इस बारे मे लाई जाती जिस मे उन सब बातो को लाया जाता, जहा पोल्यूशन का मामला आता है जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम नही है, जहा पर सीवरेज सिस्टम नही है और जहां पर ये नही होते है वहा पर जितनी भी गन्दगी होती है, उस सब को नदियो और दरियाओ मे डाल दिया जाता है । इस को रोकने के लिए क्या इन्तजाम है । तो मेरा कहना यह है कि इस तरह का एक काम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए जिस से पोल्यूशन का जो मसला है, वह सब का सब हल किया जाए और पोल्यूशन को एरेस्ट किया जा सके, कन्ट्रोल किया जा सके । देहातों में लोग जो मटियाला और जहरीला पानी पीते हैं, उस को रोकने का इंतजाम होना चाहिए । इस के लिए अगर सेस लगाना चाहे तो बेशक लगावे लेकिन लोगों को साफ ड्रिंकिंग वाटर पीने को मिलना चाहिये । हमारी जनता सरकार अगर चाहती है कि 7 साल के अन्दर या 10 साल के अन्दर सभी लोगो को साफ-सुथरा पानी पीने को मिले और उस के लिये अगर सरकार के पास रिसोर्सेज नही है, तो उस को अगर सेस लोगो पर लगाना भी पडे तो लगाना चाहिए ताकि कम से कम 10 साल के अन्दर लोगो को अनडाइलूटेड वाटर और बिल्कुल फ्रेश वाटर पीने को मिले । मैं समझता हू कि इस मसले का हल सरकार करेगी ।

जहा तक इस बिल का सवाल है, मैं समझता हू कि यह एक बहुत अच्छा बिल है और इस से देश के एक मसले का हल हो जाएगा । जहा तक देश मे पोल्यूशन के पूरे मसले का सवाल है जैसा हमारे एक भाई ने कहा है कि एअर पोल्यूशन है या दूसरा कोई पोल्यूशन है, उस को सब तरफ से रोका जाएगा, तो मैं समझता हू कि इस से हमारी हैल्थ पर अच्छा असर पडेगा । इसलिए पोल्यूशन का एक कम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए । यह पोल्यूशन चाहे एयर का हो, वाटर का हो, सीवेज का हो, ड्रेनेज का हो इस सब को कंट्रोल किया जाए। इस काम मे लोगो का सहयोग भी लिया जाए । लोग इस मे कोआप्रेट करने के लिए तैयार हैं क्योकि सेहत पर इसका असर पडता है ।

इस कानून का मकसद बहुत अच्छा है। लेकिन इस मामले मे कम्प्रीहेंसिव कानून बनाने की जरूरत है। जहा-जहा भी पीने के पानी का मसला है उसको हल किया जाए, तभी जाकर इस बिल के आब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं।

DR SARADISH ROY (Bolpur) Mr Deputy-Speaker, I welcome this Bill After passing the Water Control Act, this Bill has come after three years During the last three years practically nothing has been done to control pollution of water Only some symbolic steps have been taken and we have seen that pollution of water is causing damage to the human be gs Even animals have died due to using this polluted water

While I congratulate the hon Minister for this Bill I find that there are certain provisions which are very dangerous In imposing this cess the Government has thought to impose this cess even on the domestic use of water Certain relaxations have been given to the industry The Bill provides that any industry which has a provision for a plant for treating effluent will get a rebate of 70 per cent of the cess We have seen so many effluent treatment plants They have established them only because of the rigour of law With that plant they get a rebate for treating effluence Further more, with a provision of the plant in the industry, they may not properly treat the effluents so that these discharges from these industries may not be completely free or reasonably free from the polluted water Even then they will get a rebate of 70 per cent On the other hand the household consumers will be taxed at the rate of one paise per kilo litre It may be said this is a very small amount But we know the Congress Government imposed a very small amount of excise duty on bidi At that time, the present Ruling Party made a move against that imposition Bill. Now they are in the Treasury Benches They have increased that excise tax several times So, we have got some apprehension about it. I appeal to all sections of the House to consider it carefully and this provision of imposing cess on the domestic use of water should be deleted in this Bill

There are so many advantages given to the industry There is a penalty clause There is one section relating to interest for delay in payment of the cess What is the rate of interest? It is only 12½ per cent As far as industries are concerned, when they borrow money from banks, they have to pay interest at the rate of 15-16 per cent but if they delay the payment of this cess, they will have to pay interest only at the rate of 12½ per cent And so it will be very difficult to realise this cess Unless the percentage of interest is increased more than the bank rate of interest, it will not be possible to realise this cess imposed on the industry in time

Then there is another provision for non payment of penalty and delay Then there is a provision for giving false returns There is a provision for penalty namely imprisonment which may extend to six months or fine which may extend to one thousand rupees or both Only 'simple imprisonment' is provided for in the Bill These are some of the problems

One of the hon Members has mentioned that while imposing the cess on some of the industries, distillery has been excluded—from these 15 items which are mentioned for imposition of the cess. I also find that rayon is not included The effluents discharged by the rayon factory cause very much pollution I have seen this in Nagda in Birla's Gwalior Rayon Factory Because of discharge of effluents, not only human beings but even animals die But there is *no provision for imposition of cess* in the case of rayon I do not know whether rayon is included in the textile industry or chemical industry.

[Shri Saradish Roy]

If it is included, it is good. I want the Minister to clarify whether rayon is included in the textile industry or not

Lastly, I again want to say that this cess imposed on domestic use of water should be done away with I hope all sections of the House will agree with me in this It may seem a very small amount—one paise per kilo litre—but once it is allowed to be imposed, in course of time it will go on increasing and will be a burden on the local authorities and domestic users.

With these words, I conclude I would once again say that the cess on domestic use of water should be deleted There are certain amendments which should be considered and accepted

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सैस लगाने वाला बिल पेश किया गया है मैं समझता हू कि इसकी जरूरत तो थी ही परन्तु हिन्दुस्तान मे एनविरनमेंन्टल पाल्यूशन के बारे मे जितना हम को चिन्तित होना चाहिये जितना इस की तरफ हमे ध्यान देना चाहिये लगता है कि उस के बारे मे हम बहुत ही बेखबर हैं । इस समय वाटर पाल्यूशन, एयर पाल्यूशन इसान के लिए, ह्यूमनबीइन्ज के लिए, गम्भीर मैनैस है और शायद दुनिया में दूसरे देशों में जितना इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उसका एक फ्रिज भी, एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे देश में नही दिया जा रहा है । 1974 मे यह बिल पेश हुआ था । उस वक्त की अगर आप स्पीचेज पढ़ें पार्लियामेंट की तो आपको पता चलेगा कि उनमे यह कहा गया था, गवर्नमेंट वीचिज की तरफ से एक्शोर किया गया था कि इस दौरान मे ये ये कदम उठाए जाएगे और आगे से किसी भी इंडस्ट्री को नदी के कारण लगने नही दिया जाएगा और किसी को भी वाटरको पाल्यूट करने नही दिया जाएगा और इस चीज को देखना उस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप पिछले तीन साल के काम को देखे तो मैं समझता हू कि वह बहुत ही असन्तोषजनक रहा है । सेन्ट्रल बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड्ज का हो यह देख कर हैरानी होती है कि किस तरीके से उन्होने क्रिमिनल नैग्लिजेंस इस मामले मे दिखाई है । 1962 में पहले पहल इस पार्लियामेंट मे यह मामला डिसकस हुआ था । बारह साल के बाद एक एक्ट बना । बारह साल इस मे लग गए । कमेटी बनाई गई, कमेटी बनने के बाद इसको सर्क्युलेट किया गया और करते-करते बारह साल लग गए । बारह साल के बाद भी जो बोर्ड की 1976-77 की रिपोर्ट है उसमे जो बाते उन्होने कही है उन से यह साबित हो जाता है कि किस तरीके से वह काम कर रहे ई । पहली बात तो उन्होने यह कही है

> "The Board has now completed preparation of the inventory of relevant industries within the Union territory of Delhi and Daman despite inherent difficulties The delineation of effluent characteristics and effluent standards including their control measures are in the advanced stage of completion"

अभी वे तैयारी ही कर रहे हैं कि किस-किस इंडस्ट्री के बारे मे प्रैपरैशज की जाए । सारी दुनिया मे इस के ऊपर बहुत काम हो चुका है, बहुत सी कमिशंज बन चुकी है, कई जगह एक्ट बन चुके हैं । वहा से आप को करी कराई सामग्री मिल सकती थी । उसकी जरूरत नही है । इस में आपको तीन साल नही लगने चाहिये थे ।

फिर इस में यह कहा गया है :

"Many amendments to the 1974 Act have been recommended by the Central Board to the Government of India on the basis of the working of the Act It is hoped that these amendments will be passed early for effective enforcement of the Act, provisions"

1977 के शुरू में यह बात कही जा रही है । अच्छा होता कि मंत्री महोदय यह बताते कि जो सिफारिशें की थी उन को कब तक संशोधन द्वारा लागू कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप खुद कह रहे है कि उनके बिना हम काम नहीं कर पा रहे है ।

एक सब से सीरियस बात यह है कि

"Notice has been served on 575 industries located in Union Territories for non-complying with the provisions of Section 25 and 26 of the Act"

575 इंडस्ट्रीज को नोटिस दिया परन्तु क्या हुआ "No prosecution was launched under any provisions of the Act during the year" 1974 से 1977 तक एक प्रोसीक्यूशन सेन्ट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड ने नहीं किया, और लोगो के लिये पीने का पानी अशुद्ध करते जा रहे हैं, एफ्लूऐंट को नदियो मे गिरा कर हजारो आदमियो की जिन्दगी से खेला जा रहा है । एक भी प्रोसीक्यूशन सेन्ट्रल या स्टेट बोर्डस ने नहीं किया । 575 इंडस्ट्रीज को नोटिस दिया गया, ठीक है उस में समय लगता है, दो, तीन साल बीत गये, पहला, दूसरा और तीसरा रिमाइन्डर भी दिया गया, उसके बाद भी बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलस्ट्स का, जिनके पास बहुत पैसा है जो सब लोगो को खरीद सकते हैं, उनका प्रोसीक्यूशन न करना मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अपराध-पूर्ण चीज है । जब उनका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये था तब यह काम क्यो नहीं किया गया ? अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कश्मीर को छोड़ दें, कश्मीर की लेक्स का क्या हाल है, बम्बई मे कल्याण और उसके पास इंडस्ट्रीज की वजह से क्या बुरा हाल है । दिल्ली मे यमुना और हुबली में गंगा का तथा बिहार में बरौनी के किनारे क्या हो रहा है । जो सिचुएशन 1974 से भी उससे बहुत ज्यादा खराब हालत हो गई है । और उसके बाद भी इस एक्ट से जो फ़ायदा होना चाहिए था वह नही हुआ । मंत्री महोदय ने बताया कि साढे तीन करोड रुपया इस सेस के लगाने से आयेगा । लेकिन यह रुपया तो इन बोर्डस् के अधिकारियो की तनख्वाह देने मे ही लग जायेगा । जो काम है कि वहा पर एक्शन लेना और ऐफ्लूऐंट को खुद ठीक करना उसके बारे मे क्या कार्यवाही की जायगी यह साफ होना चाहिये ।

दिल्ली मे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऐफ्लूऐंट की वजह से यमुना के पानी मे कोई मछली जिन्दा नही बच पा रही है । कोई जमाना था कि लोग यमुना रोज नहाने जाते थे, उसके पानी को पवित्र समझ कर पीते थे, और गंगा तथा यमुना के पानी को अमृत तुल्य मानते थे, लेकिन आज यमुना के अन्दर हर सीजन मे मछलिया मर जाती हैं । इन्सानो की क्या हालत होगी जो उसी पानी को पीते हैं इसका अनुमान आसानी से आप लगा सकते हैं । क्योंकि यही पानी ओखला मे जा कर लोगो को पीने को मिलता है जिसकी वजह से लोगो को जौंडिस होती है और दूसरे फीवर्स होते हैं और कम्युनिकेबिल डिजिजिज बढती हैं । यमुना की जो हालत दिल्ली मे है, वही हालत गंगा की हुबली मे चल रही है जिसमे मछलिया नही रह पा रही रही हैं । तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नदियों

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

मे एफ्लुऐंट गिराने से रोका जाना चाहिये। क्या बात है कि जो पब्लिक सैक्टर अन्डर-टेकिन्स है वह इस बारे मे कोई कदम क्यो नही उठा रही हैं ? जितनी भी सरकारी अन्डरटेकिन्स हैं कैमिकल्स, मैटलर्जीकल प्रोडक्ट्स की, पेपर की और ड्रग्स की इन सब का ऐफ्लूऐंट नदियो के पानी मे जा रहा है और कोई ऐक्शन अभी तक उनके खिलाफ नही लिया गया । पिछली सरकार ने तो लापरवाही की, यह ठीक है कि जनता सरकार को आये हुए अभी थोडा ही समय हुआ है, लेकिन सरकार को इस बारे मे सक्रिय कदम तो उठाने चाहिये । दिल्ली मे डी० डी० टी० फैक्ट्री का सारा ऐफ्लूऐंट यमुना मे जाता है जिसकी वजह से मछलिया मर जाती है, पानी पीने के नाकाबिल हो जाता है । जितनी और इडस्ट्रीज भी है उनके लिये कई ऐसी चीज नही की गई जिसकी वजह से पानी को दूषित होने से रोका जा सके ।

कुछ जगहो पर प्लाट्स लगाय गये है, पर वह प्लान्ट शो पीस की तरह से ही है । उस प्लान्ट को चलाने मे जितना रुपया खर्च होता है कोई इडस्ट्री उतना खर्च नही करना चाहती है, और पब्लिक इडस्ट्रीज भी नही खर्च कर रही है जिसकी वजह से वह प्लान्ट्स शो पीसेज की तरह से पडे हुए हैं । जो कार्यवाही होनी चाहिये वह कार्य-वाही उस तरीके से नही की जा रही है ।

इस ऐक्ट के बनने के बाद ओखला के पास नई इडस्ट्रियल टाउनशिप बनायी गयी जिसका ऐफ्लूऐंट यमुना मे जा कर गिरेगा । यहा पर इस ऐक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि नदियो के किनारे कोई इडस्ट्री न बनने दी जाये और उनको दूर जगहो पर बनाया जाय। लेकिन 1974 के बाद 1976 मे ही पूरा का पूरा यमुना के किनारे इतना बडा इडस्ट्रियल टाउनशिप बना दिया गया है । और उसके बाद उसका सारा दूषित जल भी वहा गिरेगा, तो उसकी क्या हालत होगा, यह भी आप अन्दाजा लगा सकते है ।

इसी तरह से समुद्र के किनारे-किनारे 10–10 मील तक मछलिया मर रही हैं और जो वहा के मछिआरे है, उनका काम खत्म हो रहा है और उनकी इडस्ट्रीज पूरी तरह से तबाह हो गई हैं।

इस के साथ ही यू० एन० ओ० की रिपोर्ट है, स्टाक होम मे एक बडी भारी कान्फ्रेंस हुई, एक्स-प्राइम मिनिस्टर वहा गई और उन्होने आश्वासन दिया कि यह-यह करने जा रहे हैं लेकिन उसके बाद एक भी कदम नही उठाया गया ।

इस एक्ट मे साढे तीन करोड रुपया बहुत छोटी रकम है । पब्लिक अडरटेकिन्ज मे करोडो रुपये लगने वाले है । अगर इसको आप एटामिक वारफेयर से ज्यादा सीरियस बात समझते है, तो यह छोटी सी रकम रखना। ह्यूमन बीइग्स के प्रति बडी मीननैस है । उसके लिये 5, 7 लाख रुपया रख देते और सारे हिन्दुस्तान मे 3 करोड रुपया बोर्डज को दे देने मे काम नही चल सकता है। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पडेगा ।

अभी हिन्दुस्तान मे 5 लाख के करीब देहात ऐसे हैं, जिनमे पोटेबल वाटर ही नही है । इतने बडे इलाके मे पोटेबल वाटर के न होने की प्राब्लम को मन्त्री महोदय ज्यादा सीरियसली ले । यह ठीक हैं कि अब यह कार्य वर्क्स एड हाउसिंग मे आ गया है लेकिन शुरु मे यह सारा मामला हैल्थ मिनिस्ट्री मे था । वहा बहुत से टेक्निकल और साइंस की चीजें हैं, उनको इस के साथ एसोसियेट करके

एक लैवल पर सारे एन्वायरनमैंटल पोल्यूशन के लिये और वाटर पोल्यूशन के लिये एक्शन लेना चाहिए । टाइम फिक्स कर देना चाहिये, जो इडस्ट्री उस के भीतर प्लान्ट न लगाये , उन इडस्ट्रीज को बन्द कर दिया जाये । उन पर ज्यादा मेहरबानी दिखाने की जरूरत नही है । सिर्फ इसलिए कि इडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढे, उसके लिए हिन्दुस्तान के लाखो, करोडो लोगो की जिन्दगी के साथ खिलवाड गलत बात है । मै चाहूगा कि मिनिस्टर साहब इस हाउस को एश्योर करे कि वह उसी सीरियसनैस से इस प्राबलम को लेगे , जिस से यह सारी दुनिया ले रही है ।

SHRI ANNASAHEB P SHINDE (Ahmednagar) I welcome this Bill There should be no quarrel as far as the provisions of the present Bill are concerned But, as the previous speakers had mentioned unfortunately we as Indians have not been alive to this problem I am not trying to blame this government because even the previous Congress Governments could not do much Sir this cannot be a party issue as such It has much large implications as far as the country is concerned We as a country and as a nation have not been alive to this problem because we have not recognized how much damage and harm can be done to our social life as a result of pollution Even confining ourselves for instance to the pollution of water the water pollution in this country has created so many health hazards and our whole approach I think is not in the right direction On the one side we are spending hundreads of crores of rupees for improving the health of our people—I am not saying that we should not spend money for improving the health of the people but to my mind if there is a polluted water and there is no pure and wholesome drinking water available to the population I think the hundreds of crores of rupees we shall be spending for improving the health of the people, would be simply wasted

Recently I had an occasion to look into a small research project carried out in a rural area by a very devoted doctor He has been trying to explain it in various ways as to how to improve the rural health This projects is in my constituency What I would like to say is that he has tried to evolve new methods but what he found out was—because he has a pretty large staff to look after the health of the people that the people whose health has improved on account of the treatment go back drink the polluted water and again fall sick and come to him for treatment Therefore, instead of spending money for curing people, we should be prepared to spend for prevention and I entirely share the views of Shri Malhotra who has spoken before me He said this Rs 3 5 crores is totally inadequate In fact in this country there should have been some studies made to find out how much loss we sustain by people falling sick on account of polluted water pollution of air and other health hazards which come out as a result of pollution Unfortunately such studies are not there

13 hrs

In USA the Environmental Protection Agency has estimated I am referring to air pollution the economics of it the damage that occurs as a result of the air and water pollution If we spend more I do not think this expenditure is likely to be infructuous

In USA the Environmental Protection Agency has estimated that air pollution causes an annual loss of $6 10 billion from sickness loss of working time medical bills and premature death Damage to crops and vegetation is estimated at another $100 million a year damage to a variety of materials at $4 70 billion, and damage to residential property at $5 20 billion, annually The total estimated cost of air pollution according to CPA thus, comes to $16 10 billion per annum As against this, the cost of total air pollution control is estimated to add up to $10 65 billion a year Thus based on available estimates air pollution

[Shri Annasaheb P Shinde]

control can generate a net gain of $5 45 billion every year, for the American people

I think if similar steps are not undertaken in our country, the picture will be much more disastrous, and perhaps much more favourable if we are prepared to spend a little more

MR DEPUTY SPEAKER How long will you take?

SHRI ANNASAHEB P SHINDE Five minutes more

MR DEPUTY SPEAKER You may continue after lunch

13 02 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock

[DR SUSHILA NAYAR in the Chair]

SHRI ANNASAHEB P SHINDE Madam Chairman I am glad that I am the first person to speak when you are in the august Chair and I congratulate you

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोड़ा) सभापति महोदया, मैं आप का स्वागत करता हूं ।

SHRI ANNASAHEB P SHINDE I was saying that prevention is better than cure What is the fun in spending hundreds and crores of rupees for curing people who suffer due to drinking, unwholesome, pollutted water? I was basing my argument on the research work carried in my constituency by Dr Arole whose work has been recognised by the WHO I wish the hon Minister were in a position to organise his own research and worked out the economics of prevention of pollution so that he will not come before the House only for raising a few crores of rupees for this purpose because Rs 3—5 crores are not going to make a dent on the problem at all

Secondly our experience is that we create departments and raise moneys but 80 per cent of our budget goes to give the salary of the staff We support your intention to implement the provisions of the 1974 Act but I do not think that your intention is going to be fulfilled because you are not raising adequate resources for this purpose You will require much more resources and we will support you This is not a party issue, the whole House will support you But you have to be clear on this issue from the amounts that you raise, only 20 per cent will be spent on the salary of staff and the rest 80 per cent will go in for inputs to provide preventive measures I am not suggesting a separate ministry but only a separate department for environmental improvement in this country There should be some rational reorganisation of the department We have respect for Mr Sikandar Bakht and if the department of science and technology or the Health Ministry is given to him I have no quarrel But this department is to be part of either the Health Ministry or the department of science and technology

This matter is not confined to industrial effluents or to muncipal or corporation drainage sewage, etc

For instance, if we go to Srinagar, there are no industries as in Bombay or Calcutta I was in Srinagar three weeks ago and I found that Dal lake was in such a condition that it could not be called a lake Similarly Andhra friends know that we have one of the most wonderful sights in the country in Kolleru—Kolleru lake, but if the present position continues it is likely to be spoiled and it will disappear and future generation are not likely to see this there will be no birds no eco system Even when the 1974 Bill was brought before Parliament by my party it was incompete and inadequate A much more comprehensive Bill will have to be brought forward for controlling air pollution as was suggested by Shri Rajagopala Naidu Noise and sound pollution are part of that The matter is so serious that it is affecting plant life animal life and human beings Fortunately in our country there is still some time to adopt some measures The World-famous environmentalist Mr Hans-joerg Oeltzschner says

> "Man altered nature's physiognomy, he hardly left a sole species of animal intact This is the reason why about 200 species of mammals and birds belonging to the family of superior vertebrates were extinct within the last 2000 years, 130 of them have vanished irretrievably over the last 400 years, half of them within the last 50 years Another 550 species of mammals and birds have become rare or are being threatened by imminent extinction"

Only today there is a news item appearing in the National Herald which says

> "Crisis of Himalayan eco-system. Many of the unique Himalayan wild animals and birds may become extinct in the next twenty years if urgent conservation methods are not taken"

Ultimately this problem has to be viewed not in isolation as is being done at present, but as a whole Conservation of nature is also one of the very important aspects of preventing pollution of nature For instance, take conservation of our grasslands What is happening now is our grasslands are tampered with by animals and human beings Land erosion takes place which creates conditions whereby no vegetation is there and lakes get silted Lakes go out of use and all kinds of unhealthy and unhygienic conditions are created.

All efforts at prevention of pollution will be useless unless the population growth is reduced to 1 per cent It is not my view alone All over the world the scientists have come to the conclusion that the globe being limited if population growth rate is not reduced to 1 per cent, all efforts at pollution prevention will not produce any result We may spend a thousand crores but nothing will happen Mr Malhotra rightly pointed out that in this country Ganges water and other rivers' waters were considered to be sacred But now they are all polluted I am not blaming anybody in particular There is no effort to educate the people Even canal water is undrinkable People wash everything in the canals and the people down below suffer It is an important problem because the poor people become more prone to diseases as a result of environmental pollution Therefore, a comprehension Bill has to be brought before the House The frame-work of even the 1974 Bill was defective and it has to be improved upon What is the harm in providing for stringent punishment for polluters, particularly industrial polluters? The industrialists earn crores of rupees at the cost of the society but they do not take any steps for preventing pollution which causes harm to public health Not only the punishment

[Shri Annasaheb P. Shinde]

has to be made severe, but it should not be the government's responsibility entirely. Any municipality or private industry polluting the environment should be made responsible for reporting it voluntarily to the concerned authorities. And if the report is not coming voluntarily, I think it should be penalized. I think there should be a law for taking the municipalities or district boards to task if they don't report. Such a provision is also necessary, so that Government can take action against them.

In this connection, I would suggest that a law has to be made where by an independent citizen should be able to prosecute any industrial concern or municipality if it is causing water pollution. Only if it is made a cognizable offence, can the citizen's interest will be protected Government departments alone will not be in a position to take action. Only then will people's interests be protected. One more point is that steps have to be taken for the protection of forests, because the eco-system has to be preserved in better condition, there should be congenial conditions for human life. Conservation of forests, prevention of water and air pollution and clean villages are necessary. The public latrine arrangements in the villages should be well planned. All this has to be viewed together and necessary steps taken, and a comprehensive law enacted for this purpose.

With these few suggestions, I welcome this bill. I have no quarrel with the steps suggested. I only wish that the Minister takes steps to implement the law rigorously, so that the interests of the country and of the future generations is protected.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra): This bill has been brought forward to raise funds for the implementation of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 which we passed about 3 years ago. Going through the Annual Report of the Central Board, we find that there are more of meetings and programmes, but little of performance. Actually, the report is silent on what measures have actually been taken so far, for *the elimination or control of pollution.* As was pointed out by Mr. Malhotra, only notices have been served on the defaulters, but no indication of action has been taken.

This programme requires not only punitive action, but also a lot of education of the citizen in this regard; so that pollution can be avoided. Only some projects have been specified here. I find that Jamuna is also one of the rivers taken up for study. But I wonder what progress has been made in this direction. Yamuna is a sacred river, but at Agra it has now become a cess-pool. Its sacredness is a thing of the past. We do not have even sufficient water to bathe or perform sacred rites or throw the ashes of the dead bodies, because the major part of the sewage of the city goes into the river in spite of the construction of sewerage lines Barely a streak of fish water is left in the river bed as the river is all tapped at Tajewala or Okhla. There is very little water even for drinking in the city. I can understand the utility of canals and things like that. But is it very desirable that the river itself should be dry, and all the pollution that comes from the city or from the factories in Delhi and other intermediate stations be allowed to flow through that river? This is the condition in which people downstream line. They cannot draw water for drinking or domestic purposes, for the city of Agra. The bed is completely dry and there is no water left. I do not know what work has been done so far to stop the pollution of this river.

One thing which strikes me as very peculiar is this We are building hotel after hotel for the tourists that are coming But what is the condition of the city its environments which the visitors see? Crores of rupees are spent on beautification but no attention has been paid about the foul atmosphere that pervades all around

So far as this Bill is concerned I do support it But as my friends have said it is a very major problem which is not confined to water alone it is an international problem It is quite true that it cannot be solved by stringent punishment only a lot of educative propaganda has to be carried on hygiene and Sanitation should form part of the curriculum from the primary classes onwards

While it is question of preventing pollution of water strangly tnough we are levying a cess on the consumption of water itself instead of on the pollutants Water is nature s most cleansing agent a non pollutant and also a disinfectant By this measure we are taxing the municipalities who are already leving house tax The result of this tax will be that every one will try to economise on water which in turn will result in more concentration of pollutants I do not know why we cannot think of any better way than taxing the water itself which is one of the basic necessities of life As I said for the poor man it is the best cleaning agent and we are taxing that the tax should be levied on the pollutant or effluent Since the industries are the mischief maker they should be asked to set up plants for treating the water so that no effluent pollutes the water Those who do not comply with this should be penalised

Therefore I do not understand the rational for taxing pure water It is neither reasonsable nor desirable That is my objection to this Bill I therefore support the amendments of Shrimati Rangnekar which says that the municipal corporations and local bodies should not be penalised by this cess, because then they will be passing it on to the consumers. So the result will be the opposite of what we desire by the levy of this cess Therefore I would certainly plead with the hon Minister to find out some other way of raising this money Because in any case the amount will be inadequate As pointed out by some friends Rs 3 crores will be absolutely inadequate for dealing with this problem So we should raise this revenue by other means by taxing the pollutants and not water which is a basic necessity of life

MR CHAIRMAN Only one hour has been allotted for this Bill and we have already taken 45 minutes So I am sorry I will have to call the hon minister to reply Then we will have to take up the clause by clause consideration which will take some time

श्री उग्रसेन (देवरिया) इसका टाइम बढा दिया जाये ।

MR CHAIRMAN I am in the hands of the House How much extension of time do you want?

श्री सिकन्दर बख्त महोदया, मेरा ख्याल है कि कही गलतफहमी हो गई है, इस के लिये 2 घटे एलाट हुए है । बाद मे एक घटा और कर दिया गया है ।

सभापति महोदय अगर यह कर दिया है तो ठीक है ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) I shall be very brief

MR CHAIRMAN The less time you take the better Not more than eight minutes

SHRI CHITTA BASU There is hardly any dissenting voice in the House so far as the Statement of objects and Reasons of the Bill goes However it appears to me that the Bill has been framed in such a way that

[Shri Chitta Basu]

the dice has been loaded very heavily in favour of the industrialists who are really responsible for the pollution of water I draw the attention of the Minister to Clause 14 which reads:

"No court shall take cognizance of an offence punishable under this section save on a complaint made by or under the authority of the Central Government"

That means that even if a State Board or any other organisation finds that certain agencies have committed an office, they cannot go to court, it is only the Central Government which can do it, which means that you want to protect the offenders, the vested interests of our country, who are responsible for the pollution of water

You also propose to impose a cess on the municipalities, corporations and other organisation which are supplying free and pure water to the people If the cess is to be levied on a municipality or a corporation ultimately that will be realised by them from the consumers who are the citizens the taxpayers So, it will finally fall on the ordinary poor people I am very much opposed to this Therefore, if resocurces are to be mobilised the net may be spread wider among the industrialists and organisations which are really responsible for pollution

My third point is that the whole scheme of things shows that every pie of it will be collected and deposited in the Consolidated Fund of India and then the Government will determine the proportion in which the State bodies or the State Governments, as the case may be will get the amount from the total amount collected Here, I raise question of principle It has been the general experience that the collection from the State is sometimes more than what is transferred to the States There is constant conflict between the Central system of devolution of resources and the States I have got the facts to prove it But this is not the occasion to enter into polemics or national debates on that small affairs. I strongly feel that the subject matter of devolution of the resources mobilised by way of imposing a cess under the Bill and the principle by which the devolution shall take place should be incorporated in the Bill itself

I have given an amendment to the effect that there should be devolution of resources on the basis of 75 per cent of the collections going to the collecting States and 25 per cent going to the Centre That will help the collecting States out of a cess fund, to do something for the benefit of the people and even for the consumers who consume drinking water

There is a general slant in favour of industrialists even in the case of penalty On the question of devolution of the amounts collected, this Bill should contain a provision stating in categorical terms the principle of devolution of the resources The cess on the Municipal Corporations and the Municipalities should be omitted That will make the object of the Bill better and that will be appreciated by the entire House

With these comments, I support the Bill

*SHRI A MURUGESAN (Chidambaram) Madam Chairman, on behalf of my party the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam I rise to say a few words on the Water Prevention and Control of Pollution Cess Bill 1977 This Bill is a very important legislative measure This should have been introduced many years ago I am happy that at least now the Government have thought of bringing forth this Bill

The industries use the water for increasing and augmenting their production After their use is over, the polluted water is poured into the rivers and streams, which affect the public health of the nation The health of the future generations is in

*The original speech was delivered in Tamil

jeopardy. Where there are no rivers or streams, such polluted water is allowed to stagnate in public places The parent Act was passed in 1974 So far only 15 States have been implementing the provisions of this Act I would like to know why the remaining States have not been directed to implement this Act. I would like to point out that on account of paucity of resources the State Governments are not able to effectively implement the provisions of the Act Now a cess is being levied through this Bill and the amount thus collected will be given to the State Boards You kindly look the rates of cess given in Schedule II of the Bill Three-quarters of a paisa, 1 paisa, 2 paisa and 2 5 paisa per kilo litre of water—these are the rates of cess proposed in this Bill The industrialists have amassed wealth at the cost of their workers and the public, after utilising public property like water for their aggrandisement They have no interest in the welfare of their own workers You can't expect them to take interest in the welfare of the public In fact, I demand that they should be punished for jeopardising the public health by sending polluted water in the rivers and streams I also demand that the rates of cess in Schedule II should be revised by increasing the cess per litre to three paise, four paise, eight paise and ten paise The Central Government should also depute technically trained and experienced officials to the States for tackling this menace to the public

It is anticipated that an amount of Rs 3.5 crores would be raised through this cess This is such a paltry sum that it looks sugar candy being offered to a hungry elephant An an examole, I would like to point out that to purify the polluted water poured into river Amaravathi in Tamil Nadu from the Paper Pactories a few lakhs of rupees would be needed You can imagine the magnitude of the problem and the massive money required for this purpose Similarly, besides affecting the health of the people living in Madras City, the polluted water from the industries around the city, which goes into the Bay of Bengal, take the toll of marine wealth to the value of several hundreds of crore of rupees. To purify the sea water again several crores of rupees are required Bearing this in mind I have suggested that the rates of cess proposed in this Bill must be increased by four times

With these words I end my speech

डा० रामजी सिंह (भागलपुर)

सभापति महोदया, मेरा एक संशोधन भी इस बिल के सम्बन्ध मे है जो माननीय मंत्री जी को अब प्रतीत हो रहा होगा कि कितना समुचित है। इतनी बडी समस्या के लिए आप तीन करोड की एक छोटी राशि उगाहना चाहते है तो यह तो केवल एक रस्म अदायगी करना चाहते है। आप जानते है कि जल प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर समस्या है। यह समस्या जीवन की समस्या है और आहार की समस्या है और खास कर सौंदर्य का समस्या है। माननीय सभापति महोदया को मालूम है क्योंकि वे स्वय एक बहुत प्रख्यात चिकित्सिका रही हैं कि यह जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या विश्व के मानस पर एक बहुत बडा गंभीर संकट उपस्थित कर रही है। आप देखे कि केवल ग्रेटर बाम्बे के अन्दर 908 मिलियन लीटर गन्दी चीज समुद्र मे प्रति दिन जाती है। यही नही, और भी इस के इतने दर्दनाक आकडे है जिन को देख कर कोई भी आदमी काप सकता है।

भारत वर्ष, जहा तक मछली उत्पादन का प्रश्न है विश्व में नवा स्थान रखता है—और यहा 35 प्रतिशत मछलिया नदियो मे पकडी जाती है। वह नदिया पहले कितनी पवित्र थी और आज जल प्रदूषण के कारण कितनी गन्दी हो रही हैं, यदि समय रहता तो मै एक एक शहर के आकडे आप के सामने रखता जहा कि अब ये सारी मछलिया जल प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही है।

[डा० रामजी सिंह]

यह जल प्रदूषण की समस्या केवल जीवन की समस्या ही नही है बल्कि आहार की भी समस्या है और इसीलिए इस को केवल रस्म अदायगी के रूप मे माननीय मत्री जी न रखें । हमारे कई अनुभवी मित्रो ने स्पष्ट कहा है कि तीन करोड की लेवी इस से उत्पन्न करने से कुछ नही होगा । इसलिए मैंने जो सशोधन रखा है जिस मे थोडा थोडा दो दो, चार चार पैसे सैस रखे है, उस को आप ही पर छोड दिया है । आप देखें कि 1962 मे इस के लिए कमेटी बनी थी । 1969 में बिल लाया गया था । लोक सभा मे और 1974 मे कानून बना जिस मे 1977 में सशोधन करना पड रहा है । तो जरा सोच समझ कर सशोधन करे क्योकि जिस तरह से पैसे की कीमत घट रही है उस को देखते हुए कही 6 महीने बाद फिर आप को सशोधन न करना पडे । मुझे बडी खुशी है कि राष्ट्रपति महोदय ने हमारे सशोधन के सम्बन्ध मे स्वीकृति दी है और मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मत्री जी भी इस को मान लेंगे जिस मे मैंने यह स्पष्ट लिखा है कि आवश्यकता पडने पर आप उस सरचार्ज को ज्यादा से ज्यादा बढा सकते हैं ।

मैं आप से क्या कहू, ये औद्योगिक जगहे जितनी भी हैं एक एक जगह कितनी कितनी दुर्घटनाए हुई हैं । भागलपुर मुगेर क्षेत्र मे जहां बरौनी मे थर्मल पावर स्टेशन है वहां एक जगह जब नजदीक से रिफाइनरी से विषैला तेल फेकने लगे तो समूचे सौ मील तक नदी मे वह तेल फैल गया । जिस गगा जी का पवित्र पानी लेकर मालवीय जी लदन जाते थे और महीनो तक वह पानी शुद्ध रहता था वह गगा का पानी आज शुद्ध नही रहा । इसलिए मैं आपके माध्यम से मत्री जी से कहना चाहूगा कि आप इसको चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें, चाहे जीवन रक्षा दृष्टिकोण से देखें या आहार की समस्या के दृष्टिकोण से देखें , 1974 के ऐक्ट के सम्बन्ध मे जब संसद में डिबेट चल रही थी तो हमारे जो बगाली भाई हैं मछली खाने वाले उन्होंने कहा था कि मछली केवल बंगाली ही नही खाते हैं लेकिन जल प्रदूषण के कारण आहार के लिए मछली भी उपलब्ध नहीं हो सकेगी । जल प्रदूषण के कारण समुद्र के किनारे बहुत दूर तक मछलिया नही मिल रही हैं । इस प्रकार जीवन रक्षण के साथ साथ आहार रक्षण की समस्या भी हमारे सामने है ।

तीसरी समस्या सौंदर्य के प्रदूषण की हैं । गगा, यमुना और अन्य नदियों की हमारे प० जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य बडे बडे लोगो ने गौरव गाथायें गाई थी उन नदियो का सौंदर्य आज जल प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहा है । इसलिए मुझे विश्वास है मत्री जी इस समस्या को जरा गम्भीरता से लेगे । इस सम्बन्ध मे औद्योगिक इकाइयो पर किसी प्रकार के रहम करने की जरूरत नही है । वे बहुत ही अधिक शोषण कर चुके है । जितनी भी वे गदगी करे उससे अधिक उनसे टैक्स लिया जाये ताकि इन नदियो को साफ रखा जा सके । हमारे यह राची, हजारीबाग इलाके मे और रामगढ इलाके मे कारखानो से जो केमिकल्स निकलते है उससे हजारो एकड जमीन गन्दी हो रही है । इसलिए यह समस्या बहुत ही गम्भीर हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मत्री जी मेरे सशोधनो को स्वीकार कर लेंगे ताकि आगे चल कर सरकार को सुविधा हो सके । आप औद्योगिक इकाइयो से अधिक पैसा ले ताकि जल प्रदूषण से हमारे जीवन पर, हमारे आहार पर और प्राकृतिक सौंदर्य पर कोई खतरा न पहुचे ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) माननीया समानेत्री जी, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) उपकर विधेयक के सम्बन्ध से मैं इतना ही कहना चाहता हू कि मनुष्य के लिए भोजन जरूरी है लेकिन

उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको स्वच्छ पानी मिले। अगर मनुष्य को स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कोई एक शहर नहीं, भारतवर्ष में अनेकों ऐसे शहर है जहां पर जो उद्योग चलाये जाते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा उन कारखानों का जो पानी निकलता है वह इतना दूषित होता है कि वह पानी जहां भी नदी या जमीन पर गिरे, उससे जनता को बड़ी हानि पहुचती है। उनके जीवन पर उसका बहुत बुरा असर पडता है। मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश की बात रखना चाहता हू। आज मुझे याद आता है भाई भैरो भारती जो कि नागदा में रहते थे वे अब गुजर चुके है, वे मीसा मे गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तारी के समय मे ही चल बसे, उस नागदा मे बिडला जी का कारखाना चल रहा है और वहा इतना दूषित पानी बहता है जिससे फसले तक खराब हो जाती है। उस पानी को सोन नदी मे डाल दिया जाता है और उसी पानी को लेकर लोग पीते हैं स्नान करते है। बिडला जी का जहां इमलाई मे पेपर का कारखाना है वहा का पानी छिपरा नदी में गिरा दिया जाता है। मध्य प्रदेश विधान सभा मे कई बार विधायकों ने इस सवाल को उठाया लेकिन आजतक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नही दिया है। मै समझता हूं कि केवल कर लगा देने से ही दूषित पानी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। वह दूषित पानी कही भी नदी मे या कही और डाला जायेगा उससे नुकसान पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि दूषित पानी कहां डाला जाये इसकी ठीक व्यवस्था की जाये। केवल टैक्स लगा देने से इस समस्या का समाधान नही होगा। भारत के किसी भी कारखाने से कही पर दूषित पानी निकलता है तो उसके बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए और दूषित पानी किसी तरह से भी उपयोग में नही आना चाहिए। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और अगर कोई भी कारखाने का मालिक सरकार की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, तो उसको दंडित करना चाहिए। इस में कहा गया है कि अगर कोई उपकर नही देगा और उस की जानकारी में वह ठीक नहीं होगा, तो उस को कुछ कम भी किया जा सकता है। इस तरह से दिलाई से काम नहीं चलेगा। हम यह देखते है कि जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, उन के लिए तो कानूनो का पालन बड़ी सख्ती से होता है लेकिन जो बडे बडे आदमी देश पर छाये हुए, है, उन पर कानूनो का पालन सख्ती से नही होता। अगर देश के स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो पानी की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए।

इतना कह कर मै समाप्त करता हू।

SHRI K A RAJAN (Trichur): I do not want to speak much on this subject within the limited time at my disposal

The original enactment which was made in 1974 the government now consider is in sufficient. If you go through the whole history of pollution, you will find that wherever industrial complexes have come up, there is a hue and cry from the people, especially the farmers and agriculturists against this menace of pollution. The question is one of implementation It is the industrialists who are the people mainly responsible for these things. My feeling is that even though with good intentions we pass this Bill and augment the resources, the cess that is going to be imposed on the local authorities and industries will ultimately fall on the common man and it is really the poor people who have to bear the whole burden and the industrialists who are actually responsible for this

(Shri K A Rajan)

pollution will go scotfree If you take my Kerala State, the Birlas have put up a rayon factory near Mavoor and the effluents of the factory are emptied in the nearby river whereby a lot of fish die The fishermen could not fish plants and animal life are facing destruction and there is a hue and y from the people The industrialists had not even the courtesy to give relief to the affected people

All these things have to be kept in view and I think unless the Bill is strengthened on these lines, it will serve no purpose

श्री ब्रह्मदेव (दरभिया) सभापति महोदया इस विधेयक में जो उद्देश्य और कारणों का कथन लिखा हुआ है वह बहुत ही सीमित है।

पहली बात जो मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से साग्रह निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे तमाम समद सदस्यों ने जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है जो सुझाव दिये हैं उन को मद्देनजर रखते हुए माननीय मंत्री जी को इस विधेयक की परिधि को बढ़ाना चाहिए। अगर इस बिल के स्कोप को विस्तार नहीं किया जाएगा तो जो यह इस विशाल भारत देश के 60 करोड़ जनता के लिए चाहते हैं वह लाभ हम उसे नहीं पहुंचा सकेंगे। आप जानती है कि हमारे नेता डा० लोहिया ने यह कहा था कि इस देश में दरियाओं को नदियों को साफ करो। वे इस बात पर बहुत जोर देते थे कि नदियों की सफाई बहुत जरूरी है। गंगा क्यों पवित्र है। गंगा गंगोत्री से निकल कर तमाम अच्छे मिनरल्स, खान और खदानों को पार करती हुई हरिद्वार की पौड़ी पर भगीरथ के भगीरथ प्रयत्नों के बाद पहुंचती है तो बहुत पवित्र मानी जाती है लेकिन चलते चलते जब वह कानपुर पहुंचती है तो टफको का जूता बनाने वाला मालिक उस में कारखाने की गन्दगी फैलाता है, और वहां पर वह पानी पीने लायक नहीं रहता है। आपने एक तो पैसा लीटर सेस लगा दिया। इस से क्या बनने वाला है। जब तक यमुना में दूसरी नदियों में पानी ठीक कर के न छोड़ा जाए, तब तक इस से काम चलने वाला नहीं है। इस के लिए जिला परिषद् या बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में एयर कार्पोरेशन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन ट्यूबवेल कार्पोरेशन और इसी तरह के 43 कार्पोरेशन बने हुए हैं। मेरा कहना यह है कि इस के लिए आप एक स्वायत्तशासी कार्पोरेशन, इन्डिपेन्डेंट कार्पोरेशन बनाए। विदेशों में वाटर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए जो कार्यवाही की गई है वैसी ही आप कीजिए। वहां पर केन्द्र की तरफ से एक सेन्ट्रल कार्पोरेशन होती है और उस के अधीन राज्य के कार्पोरेशन हैं और उन को सेन्ट्रल बजट में पैसा दिया जाता है और उन को अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। आप भी उन को सेन्ट्रल बजट से पैसा दीजिए। 1974 का कानून हमारे उत्तर प्रदेश में लागू है मगर वहां पर इस के बारे में क्या किया गया है भगवान जाने। हम उस से कोई जानकारी नहीं है। और पानी गन्दा होता चला जा रहा है।

मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं। जिन उद्योगों को आपने लिखा है उनमें आप डिस्टिलरी को भी सम्मिलित कर लीजिए। मेरे जिले में कप्तानगंज में एक डिस्टिलरी है। उसकी सारी गन्दगी नदियों में जाती है जिससे उसकी मछलियां मर जाती हैं और जो लोग उस पानी को पीते हैं वे भी बाद में मरते हैं। इसलिए इस उद्योग को भी आप जोड़ लीजिए क्योंकि इससे जो गंदा पानी निकलता है वह दूषित और विषैला होता है।

तीसरी बात मैं इस विषय मे निवेदन करना चाहता हूं कि यह टेक्स कम होना चाहिए और जैसा कि हमारे साथी ने कहा इसमे सरकारो का भी कुछ अनुपात होना चाहिए । अगर राज्य सरकारें 75 फीसदी अपना अनुदान दे तो केन्द्र को भी 25 प्रतिशत अनुदान देना चाहिए । खास कर के जो घरेलू पीने का पानी इस्तेमाल होता है उस पानी पर कोई टेक्स न लगाया जाए । पहले जब दूध बेचने वालो का झगडा हो गया तो बीच की जो कमी थी, उसके अनुपात को केन्द्र की सरकार ने पूरा किया । इसलिए जो घरेलू इस्तेमाल में, घरेलू कामकाज मे जो पानी इस्तेमाल किया जाए उसके लिए राज्य सरकारो को भी मदद करनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को भी कुछ वह करना चाहिए । हमारे देश मे केवल 20 फीसदी पानी का युटिलाइजेशन होता है जबकि दुनिया के देशो मे 80-90 प्रतिशत तक पानी का यूटिलाइजेशन होता है । इसलिए कोई ऐसी योजना बनायी जाए जिससे हमारे देश मे भी अधिक से अधिक पानी का यूटिलाइजेशन हो सके । मोतरमा मलिकाए आजम की सरकार ने इस पर कुछ ध्यान नही दिया । कहा तो दिया कि हम गगा और कावेरी को मिलायेगे लेकिन उस मे काम कुछ भी नही आ । मेरा उम्मीद है कि मत्री जी इस ओर ध्यान देगे और अच्छा पानी लोगो को देगे जिससे लोगो का स्वास्थ्य खराब नही होगा ।

मैं एक बात और इस विषय मे कहना चाहता हू । इस विषय का एक अलग मत्रालय होना चाहिए । इसको किसी मेडिकल मिनिस्ट्री मे या मत्री जी के मत्रालय से सबधित नही करना चाहिए । इसका एक अलग मत्रालय होना चाहिए । ये जो हमारे जीवन मे सबधित चीजे है, पानी, हवा और खाद्य, ये सब चीजे हमे शुद्ध मिलनी चाहिए और यह तभी हो सकता है जबकि इनका एक अलग मत्रालय हो । इसलिए मैं चाहता हू कि मत्री जी मेरे सुझाव को मान लें । इससे जो पोल्युशन, मोडरनाइजेशन की वजह से हो रहा है, वह आगे चल कर नही होगा । इसलिए मै माग करता हू कि इसका एक अलग मंत्रालय हो जिससे अगले पाच सालो में इसके नतीजे सामने आए । जिस तरह से फिएट गाडी को ट्रासपोर्ट और बडी बसे बनाने के मत्रालय से सबधित कर दिया जाता है, इस काम को भी किसी और मत्रालय से सम्बद्ध न किया जाए । इससे हमारा काम चलने वाला नही है । इसलिए मैं चाहता हू कि इसका एक अलग मत्रालय बनाया जाए जिससे हमे शुद्ध हवा शुद्ध पानी और शुद्ध खाने को मिल सके । यह लोगो का बर्थ राइट है । इसको दिये बिना किसी भी जनतत्रीय सरकार का काम नही चल सकता है । मुझे आशा है मत्री जी इस विधेयक की परिधि को बढायेगे तो इन चीजो का इसमे सम्मिलित कर लेगे ।

श्री राममूर्ति (बरेली) मैं मत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि भारतवर्ष में नदियो को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है । विदेशो मे और पश्चिम के मुल्को मे नदिया को इस दृष्टि से नही देखा जाता है । हमारे यहा लोग समझते है कि दरिया मे नहाने से हमे मुक्ति मिलेगी । मैं जिस इलाके से आता हू उस इलाके मे खड की फेक्ट्री है, सुगर की फेक्ट्री है । उन सब का पानी जाकर रामगगा मे पहुचता है और अल्टी-मेटली वह पानी गगा मे जाकर मिलता है । उसी पानी को लोग पीते हैं, जानवर पीते हैं । उससे तिल्ली की बीमारी, पीलिये की बीमारी, जिगर की बीमारिया हुआ करती हैं । इसको लोग जानते नही । लेकिन जब बीमारिया फैल जाती हैं तब पता चलता है । मैं कहना चाहता हू कि यह जिम्मदारी हर कारखाने की है । जब वह कारखाना लगता है, रुपया पैदा करता है तो उसका यह कर्त्तव्य भी हो जाता है कि वह पानी को साफ करे, उस पानी को फिर से इस्तेमाल करे, उसे दरिया मे डालने की जरूरत नही है ।

[श्री राम मूर्ति]

उसका रीयूटिलाइजेशन होना चाहिये । सरकार की इस चीज को देखना जिम्मेदारी तो है ही उस कारखानेदार की भी यह जिम्मेदारी है कि वह देखे कि पानी का दुबारा इस्तेमाल हो और उस गन्दे पानी को दरिया मे बहा न दिया जाए । सरकार टैक्स लगाए लेकिन उसके साथ साथ उन पर जिम्मेदारी भी डाले । आपको इस चीज को गैडेटरी बना देना चाहिये ताकि कोई उससे बच कर जाने न पाए ।

15 hrs

जगह जगह पर आज इडस्ट्रीज लगी हुई है । मै चाहता हू कि वहा पर अलग अलग लेबोरेटरीज खोली जानी चाहिये । मोबाइल लेबोरेटरीज भी आपको खोलना चाहिये । यनिवर्सिटिया और कालेजो म जहा पर साइंस क्लासिस है वहा के विद्यार्थियो को और उनको भी आपको इस काम म एसाइण्ट करना चाहिये और वहा पर छात्रो को इस चीज का सिखाना चाहिये । इसम आगे चल कर उनके लिए नौकरिया पाने का स्कोप खुलेगा ।

हमारे देश मे एक दो नही हजारो इडस्ट्री है । टैक्सटाइल फाइबर सिंथेटिक्स फार्मास्यूटिकल्ज मेटल आर्गेनिक केमिकल्ज फूड प्रासेसिंग पैट्रो इडस्ट्रीज हैवी कैमिकल्ज ट्रक्टर अलकोहल आदि न जाने कितनी तरह की इन्डस्ट्रीज हमारे देश मे है । उनके जरिये कितना पानी दूषित होता है उसका अदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है । जो एनविरनमैंटल पाल्यूशन हो रहा है इस पर रोक लगाना भी इस बिल का उद्देश्य होना चाहिये । कानपुर बम्बई अहमदाबाद आदि जो बडे बडे शहर हैं उनके अदर आज फैक्ट्रिया खुल गई हैं पचास पचास और साठ साठ खुल गई है और उन्होने वातावरण को और पानी को गदा कर रखा है । इस पर रोक लगनी चाहिये ताकि लोगो का स्वास्थ्य अच्छा हो । यह जो उद्देश्य है अगर यह पूरा नही होता है तो हमारी जितनी एफर्ट्स है वे सब बेकार जाएगी ।

एक ही बात मुझे—कहनी थी । इडस्ट्रीज जब फायदा उठाती है चीज बनाकर और पानी आदि का गदा करती है वे साफ भी करे फिर इस्तमाल भी करे और दरिया म उस पानी को बहा न दे । इन शब्दो के साथ मै इसका समर्थन करता हू ।

श्री युवराज (कटिहार) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) उपकर विधेयक 1977 बहुत ही सावजनिक हित का विधेयक है और मै इसका समर्थन करता हू । इसके उपबधो के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डो हेतु निधि की यवस्था की गई है । उद्योगपति जो नदी के पानी को गदा करते है उनको ऐसा करने से रोकने के लिए यह उचित ही था कि कुछ प्रावधान किए जाते और ठोस कदम उठाए जाते । लेकिन साधारण नगरपालिकाय या म्युनिसिपल कारपोरेशन जो आज देश मे काम कर रहे है वे काफी अविकसित है वे गन्दगी को साफ नही कर पाते उचित व्यवस्था जनहित की नही कर पाते । केन्द्रीय सरकार भी उनको पर्याप्त अनुदान नही देती है । ये जो छोटी छोटी नगरपालिकाये है या कारपोरेशनज है मै चाहता हू उनको इस उपकर से मुक्त कर दिया जाए ।

आपने एक केन्द्रीय और राज्यो म बोड बनाया है केन्द्रीय बोर्ड की तरफ से लैबोरेटरी खुली है और जब तक वह अपनी राय नही दे देती है कोई प्रासीक्यूशन नही हो पाएगा । जो स्थानीय लबोरेटरीज हैं स्टेट बोर्डज की वे एक तरफ से डिफेक्टिव है । केन्द्रीय बोर्ड ही उनको सलाह देगा तकनीकी सहायता उनकी करेगा और उनका मार्ग दर्शन करेगा । यह सोलह सदस्यो का जो राज्य बोर्ड है उसके

पास जो अपनी लैबोरेटीज हैं उनकी जो राय है उसके मुताबिक उनको इजाजत तो होनी चाहिये कि वे दोषी इंडस्ट्रियलस्ट्स को प्रासीक्यूट कर सके । चूंकि नदियों के किनारे उद्योग लगाए जाते हैं इस कारण से नदियों का पानी गन्दा हो जाता है । साधारण गांव का आदमी नदी या तालाब से पानी लेता है । आज भी हमारे देश में एक डेढ़ लाख बस्तियों में पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है । वहां के गरीब आदमी तालाबों या छोटी बड़ी नदियों से ही पानी लेते हैं । कई उद्योग हैं जो दरियाओं के किनारे लगे हैं । बरौनी का आप फर्टिलाइजर कारखाना देख लें । हुगली के किनारे कलकत्ता और आसनसोल के बीच डेढ़ दो सौ उद्योग लगे हुए हैं । दुर्गापुर का कारखाना दामोदर के किनारे है । वह दामोदर नदी और गंगा के किनारे बरौनी फर्टिलाइजर्स है, या जो केमिकल्स के दूसरे कारखाने हैं, या आयल रिफाइनरीज हैं या बड़ौदा में माही नदी है या पेरियार नदी केरल में है जहां सैकड़ों उद्योग हैं, यह तमाम उद्योग नदियों के पानी को प्रदूषित करते रहते हैं । तो इन पर जो उपकर लगाने की बात है वह और अधिक लगाना चाहिये । हम केवल उपकर लगाकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिये, बल्कि ऐसे उद्योग जो जल को प्रदूषित करते हैं या ऐसे उद्योगपति जिनको स्थानीय लोगों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं का कोई ख्याल नहीं है और व्यक्तिगत मुनाफे के लिये जो लोग जल को प्रदूषित करते हैं, लेकिन समाजवादी देशों में जल के प्रदूषण की ऐसी समस्या नहीं है, वहां जल का प्रदूषण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां व्यक्तिगत उद्योग हैं वहां पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उन पर कठोर नियंत्रण की जरूरत है । यह उद्योगपति तीन करोड़ क्या सरकार को 30 करोड़ रु० भी दे देंगे । इसलिये कठोर दंड की भी आवश्यकता है ताकि पेय जल को वह प्रदूषित न कर सके ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) सदर साहिबा, यह बात तो बेहद इत्मीनान का, बायस है कि सभी आनरेबिल मेम्बर्स इससे मुत्तफिक हैं कि वाटर पौल्यूशन को रोकना चाहिये । यह बिल पास न किया जाय, इसकी मुखालिफत किसी मेम्बर ने नहीं की, इसके लिये मैं इस हाउस के मेम्बर्स का शुक्रगुजार हूं । इसके लिये भी शुक्रगुजार हूं कि जिन मेम्बर्स ने इस बिल में दिलचस्पी ली है और काफी अच्छे सुझाव दिये हैं । बातें इस कदर कही गई हो सकता है कि कोई बात जवाब के बगैर रह जाय । मैं आनरेबिल मेम्बर्स को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने बहुत तवज्जह और तफसील से हर एक की तकरीर सुनी है और जिस किस्म के तामीरी सुझाव सामने आये हैं उनको नोट किया है । लेकिन बहुत सारे सुझाते कोमन रहे हैं । कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिनके बारे में मैं कह सकूं, उसके लिये माफी चाहता हूं ।

पहले तो मैं कुछ इनकरादी बातों का जिक्र करना चाहता हूं । एक साहब ने कहा कि रेयान शड्यूल में मौजूद नहीं है । शड्यूल में टैक्सटाइल का जिक्र किया गया है और उसमें रेयान आ जाता है । टैक्सटाइल इंडस्ट्री शडयूल के नम्बर 10 पर है । इसी तरह से किसी साहब ने डिस्टिलरी का जिक्र किया था । तो वह भी शड्यूल के 15 नं० पर आ जाती है

Processing of animal and vegetable product industries.

15.08 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER in the chair]

[श्री सिकन्दर बख्त]

हमारे एक मोहतरम दोस्त ने जिक्र किया कि जमुना के पोल्यूशन से बेहद इजाफा है जो उस कदम से हुआ है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोयदा के नाम से एक बडी इडस्ट्रियल एस्टेट कायम की है। नोयडा का कायम करना जमुना के पानी को खराब करने के लिए ही नही है, बल्कि नेशनल कैपिटल रीजन का भी उल्लघन किया गया है, और अफसोसनाक है। लेकिन अभी इसके लिय कहना मुश्किल है कि क्या कदम उठाया जाता है उसकी एक्टिविटी न हो, क्योकि वह एक फुलफ्लैजड इडस्ट्रियल टाउन है।

दो, एक बातो मे जिक्र किया गया है एयर पोल्यूशन के बारे मे। कमप्रीहेंसिव पोल्यूशन का जिक्र किया गया है। तो मै कहना चाहता हू कि एयर पोल्यूशन के बारे मे एक बिल कैबिनट ने पेश कर दिया गया है जो बहुत जल्दी पार्लियामेट के सामने आ जायेगा। जो अमेडमेंट्स आई है, उन पर जो तजवीजे है, उनके मुताल्लिक मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हू कि उन अमेडमेंट्स को एक साथ लगा।

मैं अपने साथी डा० राय से अर्ज कर देना चाहता हू कि बोर्ड का काम तो है ही मानीटर करना, पोल्यूशन ट्रीटमट को रोकना नही है बल्कि प्लाट लगाना है। यह समझ लेना कि बोर्ड अगर कायम है, और प्लाट लगा किया तो आइन्दा कभी यह तवज्जह नही की जा सकती कि ट्रीटमेंट प्लाट लगाने के बावजूद पानी पाल्यूट हो रहा है या नही, यह गलत बात है।

यह जिक्र किया गया है कि यह साढे 3 करोड का जो सैस है, इससे रैवन्यु मिलेगा या उसका खर्चा होगा। मैं अर्ज करना चाहता हू कि यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिये है। इस साढे 3 करोड के जरिये प्लान्ट नही लगाई जा सकती। प्लाट के लिय तो फाल्यूटर का काम होगा कि वह प्लान्ट लगाये।

SHRI ANNASAHEB P SHINDE Will you not provide for research out of this?

SHRI SIKANDAR BHAKT Yes, certainly We will, because that part which is coming to the central board will be employed to do research work The central board is looking after Union territories and some part will be spent on research too

Now the major objections raised are included in the amendments that have been tabled

मैंने अमेडमेंटस को कैटामिकाई कर लिया है। जनरल प्रिसिपल्ज के बारे म मै बहुत ज्यादा अर्ज नही करना चाहता माटी माटी बाते तो आ ही जायगी इसलिय उनको नटी रख रहा हू।

श्री युवराज शुद्धिकरण के लिय पानी सबसे जरूरी चीज है उस पर भी आप सैस लगा रहे है।

श्री सिकन्दर बख्त मैंने अर्ज किया था कि जो पानी डिस्चार्ज होता है उसकी करीब करीब मनासिबत जो पानी कज्युम होता है उससे होती है। क्योकि डिस्चार्ज किये गये पानी का एक्यूरटली नापना बिल्कुल नामुमकिन है इसलिये यह तय हुआ है कि जो पानी कज्यूम हुआ है उसको नापने का एक तरीका हमारे पास है, उस पर सैस लगा दिया जाये। मगर वह आउट आफ प्रपोर्शन होने का सवाल नही है। बुनियादी सैस पाल्यूशन पर ही है क्योकि डिस्चार्जड वाटर एक्यूरेटली नापना मुमकिन नही है, इसलिये उसको रखा है।

एक माननीय सदस्य जो उद्योगपति अपना ही पानी लेते हैं, उसका क्या होगा?

श्री सिकन्दर बख्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अमेंडमेंट्स 1 से 11 तक और चौथी लिस्ट में अमेंडमेंट 18 और छठी लिस्ट में अमेंडमेंट 21, यह सब एक ही चीज से सबन्ध रखते है । यह अमेंडमेंट्स सजैस्ट करते है कि जो डामैस्टिक यूज के लिये पानी पर सैस लगाया जा रहा है, वह न लगाया जाये । इसमें दो बातें काबिलेतवज्जह है । एक तो यह कि किसी साहब ने इससे इन्कार नहीं किया कि डामैस्टिक यूज में जो पानी आता है उसमें भी पाल्यूशन होता है । अगर इसको छोड़ा जायेगा सिर्फ इंडस्ट्रीज पर लगाया जायेगा तो यह डिस्क्रिमिनेशन होगा ।

एक माननीय सदस्य क्या डिस्क्रीमिनेशन होगा ?

श्री सिकन्दर बख्त एक पाल्यूटर को छोड़ेंगे और दूसरे पर सैस लगायेंगे हमारी राय है कि यह डिस्क्रिमिनेशन होगा । आपका अख्तियार है जो चाहे राय बनाये ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बदायूं) इस पानी का सबन्ध पाल्यूशन से है या हैल्थ पाना से है ।

श्री सिकन्दर बख्त पानी इस्तेमाल होने के बाद पाल्यूट होता है । हम यह समझते है कि यह मुमकिन नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा कि एक पाल्यूटर को छोड़कर दूसरे पर सैस लगाया जाये । यह जरूर है कि इंडस्ट्रियल पाल्यूशन पर जो सैस सजेस्ट किया गया है वह 2 पैसे से ढाई पैसे प्रति किलोमीटर सजैस्ट किया गया है और डोमस्टिक इस्तेमाल के लिये जो सजैस्ट किया गया है वह 1 पैसे फी किलोलिटर सजैक्ट किया गया है । इसका इन्हिसार क्वालिटी आफ एफ्लुएंस पर है । यह तस्लीम किया गया है कि डोमैस्टिक इस्तेमाल के बाद पानी में एफ्लुएन्स कम होता है, जब कि इंडस्ट्रियल यूज के बाद वह ज्यादा होता है । वहां भी यह फर्क रखा गया है कि क्वालिटी आफ एफ्लुएन्स क्या है और उसी के लिहाज से दो से ढाई पैसे फी किलो-लिटर तक सैस लगाया गया है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी घर के इस्तेमाल के पानी पर सैस लगाने से गवर्नमेंट की बड़ी भारी बदनामी होगी । घर के इस्तेमाल के पानी से पाल्यूशन होता है यह बात समझ में नहीं आती है । इंडस्ट्रियल यूनिटस पर बेशक सैस लगाया जाये ।

श्री सिकन्दर बख्त मुझे अफसोस है कि जिन एमेंडमेंटस का मैं ने जिक्र किया है उन्हें मैं मन्जूर नहीं कर सकूंगा ।

MR DEPUTY-SPEAKER: Accepting or not accepting any amendment will come later, in the second reading.

श्री सिकन्दर बख्त कुछ सवालात एमेंडमेंटस नं० 15 और 19 से मिलते है । कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 114(3) के मुताबिक कानसालिडेटिड फंड आफ इंडिया से कोई रुपया एप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इस के लिए कोई ला न पास किया जाये । लेकिन श्री चित्त बसु के एमेंडमेंट में एप्रोप्रिएशन करने वाले ला के लिए कोई प्राविजन नहीं है । उन्होंने 25 परसेंट और 75 परसेंट की जो बात कही है, इस आर्टिकल के मुताबिक यह मुमकिन नहीं है कि उस पर अमल हो सके ।

शुरू में श्री राजगोपालन ने यह फरमाया था कि यह कानून सभी स्टेटस में लागू होना चाहिए । मैंने इन्ट्रोडक्टरी स्पीच में अर्ज किया था कि सात स्टेटस ऐसी है, जिन्होंने 1974 के एक्ट को मन्जूर नहीं किया है तामिलनाडू, महाराष्ट्र, उड़ीसा नागालेंड मणिपुर, मेघालय और सिक्किम । उन्हें पर्सुवेड किया जा रहा है कि वे इसे मन्जूर कर लें । तब सब स्टेटस में यूनिफार्मिटी हो जायेगी ।

[श्री सिकन्दर बख्त]

मेरा खयाल है कि शायद ऐसी कोई बात नहीं रह गई है जिस का मुझे जिक्र करना चाहिए था। इस लिए मेरी दरखास्त है कि इस बिल का इस शक्ल में पास किया जाय। जैनेरल एनवायरनमेंटल पालूशन का जिक्र किया गया है। एयर पालूशन के बारे में बिल केबिनेट के सामने पेश कर दिया गया है। वहां से आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वह बहुत जल्दी इस हाउस में आ जायगा। मुझे उम्मीद है कि मेम्बर साहबान इस बिल को पास करने की कृपा करेंगे।

MR DEPUTY-SPEAKER The question is

That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on water consumed by persons carrying on certain industries and by local authorities with a view to augment the resources of the Central Board and the State Boards for the prevention and control of water pollution constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 be taken into consideration

The motion was adopted

MR DEPUTY-SPEAKER Now about Clause 2 Mrs Rangnekar is not present The question is

That clause 2 stand part of the Bill

The motion was adopted

Clause 2 was added to the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER Now Clause 3 Mrs Rangnekar is not here There are some other amendments Dr Ramji Singh are you moving your amendment? First of all you must make up your mind whether you want to move it or not

DR RAMJI SINGH We are on the same side

MR DEPUTY-SPEAKER I think you are not moving it I take it like that Now about Shri Yuvraj

SHRI YUVRAJ I withdraw it.

MR DEPUTY-SPEAKER The question is

"That Clause 3 stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER Now Clause 4 Mrs Rangnekar is not here The question is

That Clause 4 stand part of the Bill

The motion was adopted

Clause 4 was added to the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER Clause 5 Mrs Rangnekar is not here The question is

That Clause 5 stand part of the Bill

The motion was adopted

Clause 5 was added to the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER The question is

That Clause 6 stand part of the Bill

The motion was adopted

Clause 6 was added to the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER Clause 7 Dr B N Singh is also not here

The question is

That Clause 7 stand part of the Bill

The motion was adopted

Clause 7 was added to the Bill

Clause 8 (Crediting proceeds of cess to Consolidated Fund) of India and application thereof)

MR DEPUTY-SPEAKER Clause 8 Mr Chitta Basu, your amendment No 14 is not admitted, because the President has withheld his permission Do you want to move your amendment No 15?